न्यायालय - तहसीलदार गौरिहार

जिला छतरपुर (म.प्र.)

(27) (88)

20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. 5283/2018 / 2018 पुनरीक्षण निगरानी छतरपुर

1. बद्री पुत्र जानकी पटेल
2. जयकरन पुत्र जानकी पटेल
3. रामप्रताप पुत्र सजीवन पटेल
4. राजू पुत्र सजीवन पटेल
5. श्रीराम पुत्र सजीवन पटेल
6. रामकेश पुत्र रामस्वरूप पटेल
7. रामरती पुत्र रामस्वरूप पटेल
8. आनंदी पुत्र चुनवाद पटेल
9. रज्जू पुत्र चुनवाद पटेल
10. अरविंद पुत्र चुनवाद पटेल

सभी निवासीगण ग्राम मझपटिया (नदौता)
तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 25.8.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5.9.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 28.8.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
28-8-18 एडवोकेट
ग्वालियर

विरूद्ध

1. महेश्वरीदीन पुत्र द्वारका पटेल
2. अशोक पुत्र द्वारका पटेल
3. श्रीमती गेंदारानी बेबा द्वारका पटेल

सभी निवासीगण ग्राम मझपटिया (नदौता)
तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

(२)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 442/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि, ख.नं. 367/2 रकवा 0.849 है. भूमि ग्राम नदौता तहसल गौरिहार जिला छतरपुर में स्थित होकर उकत भूमि जगसुन के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जगसुन के एक पुत्र सहाय एवं एक पुत्री सुकिरतन थी। सहाय के एक पुत्र द्वारका एवं सुकिरतन के पुत्र रामसजीवन थे बाद भूमि रामसजीवन को हिस्से में प्राप्त हुई थी लेकिन राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं थी इस कारण आपसी सहमति से द्वारका ने उक्त सर्वे नं. 367/2 रकवा 0.849 है. भूमि रामसजीवन के नाम दर्ज किए जाने की सहमति दी थी। इस प्रकार पंजी कं. 15 प्रविष्टि दिनांक 01.07.84 पर आदेश दिनांक 28.8.84 रामसजीवन के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया था।

3– यह कि, वाद भूमि के साथ अन्य भूमियां भी आवेदकगण एवं अनावेदकगण के पिता द्वारका एवं अन्य सहखातेदार की सम्मिलित खाते की थी। उक्त सभी भूमियों का तहसीलदार गौरिहार ने प्र.कं. 22/अ–27/05–06 दर्ज कर आदेश दिनांक 28.02.2007 द्वारा बटवांरा आदेश पारित किया गया।

4– यह कि, उक्त बंटवारा में वाद भूमि ख.नं. 367/2 रकवा 0.849 है. भूमि सम्मिलित थी उक्त भूमि ख.नं. 367/2 रकवा 0.849 है. भूमि तीन भाग में विभाजित होकर आवेदकगण को बटवांरा में प्राप्त हुई थी।

(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-5283/2018/छतरपुर/भू.रा. बद्री विरूद्ध महेश्वरीदीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक बद्री की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री के.डी. दीक्षित उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 442/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-08-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-08-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व	

30/X/18

अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 26-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य